संख्या 35011/03/2008-स्था. (घ)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।

दिनांक 30 जुलाई, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना का केन्द्र सरकार के स्टाफ कार ड्राईवरों पर लागू होना ।

अधोहस्ताक्षरी को केन्द्रीय सरकार के सिविलियन कर्मचारी हेतु संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना लागू करने के संबंध में इस विभाग के दिनांक 19 मई 2009 के का. ज्ञा. सं. 35034/3/2008-स्था. (घ) का हवाला देने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त योजना के अनुबंध-I के पैरा 13 में यह प्रावधान है कि स्वस्थाने पदोन्नति योजना - स्टाफ कार ड्राईवर योजना, अथवा किसी मंत्रालय / विभाग अथवा उसके कार्यालय में किसी विशिष्ट श्रेणी के कर्मचारी के लिए मौजूद अन्य किसी प्रकार की पदोन्नति योजना सहित समयबद्ध पदोन्नति योजना के प्रावधान को संबंधित श्रेणी के कर्मचारी हेतु बरकरार रखा जा सकता है यदि उसे अपेक्षित परामर्श के बाद संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा जारी रखने का निर्णय लिया गया है अथवा उसे संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना में बदला जा सकता है । तथापि, यह योजनाएं संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना के साथ-साथ नहीं चलाई जाएं ।

2. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की 8.5.2010 को विभागीय परिषद् (जेसीएम) के साथ हुई बैठक में कार्य-सूची की मद संख्या 57.31 के संबंध में लिए गए निर्णय के अनुसरण में व्यय विभाग से परामर्श के साथ निर्णय लिया गया है कि केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के स्थायी स्टाफ कार ड्राईवरों को भी द्वितीय विकल्प के रूप में उपर्युक्त संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना का लाभ प्रदान किया जाए, यदि उन्हें प्रतिशत आधारित मौजूदा प्रणाली के भीतर पदोन्नति नहीं मिल पाती है ।

3. तदनुसार संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना का पैरा 13 इस आशय से संशोधित किया जाता है अन्य शब्दों में स्टाफ कार ड्राईवर योजना तथा संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना साथ-साथ चलेगी ।

4. इस मामले में सभी मंत्रालय/विभाग, इस निर्णय को सामान्य निदेश तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु व्यापक रूप से प्रचारित करें ।

(स्मिता कुमार)
निदेशक (स्थापना-I)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

.....2/-

1. राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/उच्चतम न्यायालय/ राज्य सभा सचिवालय/लोक सभा सचिवालय/ मंत्रिमंडल सचिवालय/संघ लोक सेवा आयोग/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/सी. एंड ए.जी./ केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान शाखा) नई दिल्ली ।
2. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पैंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय ।
3. सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ।
4. सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग ।
5. सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, (जे.सी.एम.) 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।
6. राष्ट्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य ।
7. व्यय विभाग {ई-III (ए.) शाखा}
8. स्थापना (घ) अनुभाग - 100 प्रतियां ।
9. एन.आई.सी., कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर कार्यालय ज्ञापन को डालने हेतु ।